अनुदान संख्या 62 – निर्वाचन आयोग
GRANT No. 62 - ELECTION COMMISSION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	113,00,00	118,00,00	117,68,58	-31,42
पूरक	Supplementary	5,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	33,00,00	71,79,00	71,77,03	-1,97
पूरक	Supplementary	38,79,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2015"	Major Head "2015"				
निर्वाचन	Elections				
मू.	O.	11300.00	11800.00	11768.58	-31.42
पू.	S.	500.00			

(I) "प्रशिक्षण – चुनाव के लिए प्रशिक्षण दिया जाना" – ₹965.46 लाख की बचत (₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन संस्थान का द्वारका में नए परिसर में स्थानांतरण किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(I) Under "Training - Imparting Training for Election" - saving of ₹965.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was due to delay in shifting of India Institute of Democracy and Election Management to new campus at Dwarka.

2. उपर्युक्त बचतें "निर्वाचन आयोग" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईः–

2. The above savings were partly offset by excess under "Election Commission" - under the following heads:-

(I) "स्थापना" – ₹525.52 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2017 में प्राप्त किए गए ₹500.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹8000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम्प्यूटर प्रोग्रामर किराए पर लिए जाने/ कम्प्यूरों की खरीद किए जाने और विभिन्न राज्यों में आम चुनावों की वजह से अधिक बैठकों/संगोष्ठियों का आयोजन किए जाने के कारण हुआ।

(I) "Establishment" - excess of ₹525.52 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs including supplementary grant of ₹500.00 lakhs obtained in December, 2017) was due to hiring of computer programmers/purchase of computers and conducting of more meetings/seminars owing to general elections in various states.

(II) "मतदाता जागरूकता" – ₹408.52 लाख का अधिक व्यय (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से मतदाताओं में जागरूकता बढ़ने के कारण हुआ।

(II) "Voters Awareness" - excess of ₹408.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs) was due to increase voters awareness through adverting and publicity.